कपड़ा मंत्रालय

मांग संख्या 93

कपड़ा मंत्रालय

क. वसूलियाँ और प्राप्तियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	4167.48	1802.06	5969.54	4969.30	798.18	5767.48	5472.35	778.52	6250.87	6977.73	797.90	7775.63
	पूंजी	***23.84***	*205.65*	*229.49*	*30.70*	*57.57*	*88.27*	*30.95*	*163.75*	*194.70*	*22.27*	*38.51*	*60.78*
	जोड़	**4191.32**	**2007.71**	**6199.03**	**5000.00**	**855.75**	**5855.75**	**5503.30**	**942.27**	**6445.57**	**7000.00**	**836.41**	**7836.41**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	13.68	13.68	...	16.02	16.02	...	16.02	16.02	...	18.70	18.70
ग्राम और लघु उद्योग													
हथकरघा उद्योग													
2. हथकरघा संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं													
2.01 समेकित हथकरघा विकास योजना	2851	11.06	...	11.06	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	105.56	...	105.56
	3601	153.89	...	153.89	123.60	...	123.60	123.60	...	123.60	63.79	...	63.79
	3602	3.01	...	3.01	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.65	...	0.65
	जोड़	*167.96*	*...*	*167.96*	*129.70*	*...*	*129.70*	*129.70*	*...*	*129.70*	*170.00*	*...*	*170.00*
2.02 हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना	2851	115.54	...	115.54	124.00	...	124.00	84.00	...	84.00	...	...	...
	3601	0.66	...	0.66	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*116.20*	*...*	*116.20*	*125.00*	*...*	*125.00*	*84.00*	*...*	*84.00*	*...*	*...*	*...*
2.03 हथकरघों के पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्संरचना पैकेज	2851	...	...	...	...	...	...	360.00	...	360.00	2205.00	...	2205.00
2.04 विपणन और निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	43.00	...	43.00
	4851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*48.00*	*...*	*48.00*
जोड़- हथकरघा संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		*284.16*	*...*	*284.16*	*254.70*	*...*	*254.70*	*573.70*	*...*	*573.70*	*2423.00*	*...*	*2423.00*
3. अन्य हथकरधा योजनाएं													
3.01 विविध हथकरघा विकास योजना	2851	7.30	...	7.30	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00	5.38	...	5.38
	3601	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	0.35	...	0.35
	4851	8.89	...	8.89	19.10	...	19.10	19.10	...	19.10	14.27	...	14.27
	जोड़	*16.19*	*...*	*16.19*	*24.10*	*...*	*24.10*	*24.10*	*...*	*24.10*	*20.00*	*...*	*20.00*
3.02 बुनकर सेवा केन्द्र	2851	...	27.91	27.91	...	29.65	29.65	...	29.65	29.65	...	32.50	32.50

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
3.03	हथकरधा बुनकर व्यापक कल्याण योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	104.50	...	104.50
		3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
		जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*105.00*	*...*	*105.00*
3.04	मिल गेट मूल्य योजना	2851	65.00	...	65.00	55.60	...	55.60	55.60	...	55.60	350.00	...	350.00
3.05	विपणन संवर्द्धन कार्यक्रम	2851	46.60	...	46.60	38.00	...	38.00	38.00	...	38.00	...	...	...
		4851	12.00	...	12.00	7.60	...	7.60	7.60	...	7.60	...	...	...
		जोड़	*58.60*	*...*	*58.60*	*45.60*	*...*	*45.60*	*45.60*	*...*	*45.60*	*...*	*...*	*...*
3.06	संचित हथकरधा स्टॉक की बिक्री पर 10 प्रतिशत की विशेष की छूट के अनुदान के लिए स्कीम	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		3601	...	64.68	64.68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		3602	...	1.94	1.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		जोड़	*...*	*66.62*	*66.62*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
3.07	अन्य	2851	0.01	15.07	15.08	...	18.46	18.46	...	15.08	15.08	...	26.50	26.50
		3601	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	1.00	1.00	...	3.50	3.50
		जोड़	*0.01*	*18.57*	*18.58*	*...*	*21.96*	*21.96*	*...*	*16.08*	*16.08*	*...*	*30.00*	*30.00*
जोड़- अन्य हथकरधा योजनाएं			*139.80*	*113.10*	*252.90*	*125.30*	*51.61*	*176.91*	*125.30*	*45.73*	*171.03*	*475.00*	*62.50*	*537.50*
जोड़-हथकरघा उद्योग			**423.96**	**113.10**	**537.06**	**380.00**	**51.61**	**431.61**	**699.00**	**45.73**	**744.73**	**2898.00**	**62.50**	**2960.50**
हथकरघा उद्योग														
4.	*अन्य हस्तशिल्प योजनाएं*													
4.01	प्रशिक्षण एवं विस्तार	2851	...	31.71	31.71	...	37.25	37.25	...	37.25	37.25	...	38.00	38.00
4.02	डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन	2851	17.74	36.72	54.46	11.00	41.61	52.61	17.00	42.39	59.39	11.00	45.00	56.00
4.03	बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना	2851	49.03	...	49.03	49.00	...	49.00	39.00	...	39.00	37.00	...	37.00
4.04	विपणन सहायता और सेवाएं	2851	54.62	...	54.62	49.00	...	49.00	44.00	...	44.00	40.50	...	40.50
4.05	हस्तशिल्प व्यापक कल्याण योजना	2851	26.20	0.30	26.50	53.50	...	53.50	18.00	...	18.00	16.00	...	16.00
4.06	अनुसंधान और विकास	2851	6.76	...	6.76	6.25	...	6.25	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
4.07	मानव संसाधन विकास	2851	16.50	...	16.50	13.75	...	13.75	13.75	...	13.75	15.00	...	15.00
4.08	अन्य	2851	...	23.06	23.06	...	26.40	26.40	...	23.06	23.06	1.00	27.50	28.50
		4851	2.95	...	2.95	2.50	...	2.50	2.75	...	2.75	2.50	...	2.50
		जोड़	*2.95*	*23.06*	*26.01*	*2.50*	*26.40*	*28.90*	*2.75*	*23.06*	*25.81*	*3.50*	*27.50*	*31.00*
4.09	अवसंरचना परियोजनाएं	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
4.10	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- अन्य हस्तशिल्प योजनाएं			*173.80*	*91.79*	*265.59*	*185.00*	*105.26*	*290.26*	*140.50*	*102.70*	*243.20*	*129.02*	*110.50*	*239.52*
ऊन उद्योग														

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
5. ऊन विकास बोर्ड	2851	10.74	1.50	12.24	12.50	1.50	14.00	12.50	1.50	14.00	11.50	1.50	13.00
6. ऊन और विकास कार्यक्रम	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
7. पशमीना और अंगोरा सहित कच्ची ऊन का	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
8. विपणन और निर्यात संवर्धन योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
9. मानव संसाधन विकास	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
10. प्रसंस्करण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़-ऊन उद्योग		**10.74**	**1.50**	**12.24**	**12.50**	**1.50**	**14.00**	**12.50**	**1.50**	**14.00**	**11.55**	**1.50**	**13.05**
रेशम उत्पादन													
11. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	2851	320.00	202.57	522.57	223.00	206.46	429.46	223.46	206.46	429.92	184.11	209.50	393.61
12. अन्य रेशम कीटपालन योजनाएं	2851	...	...	...	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30
13. आईएसईपीसी और एसएमओई द्वारा निर्यात संवर्धन, ब्रांड संवर्धन और प्रौद्योगिकीय उन्नयन	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़-रेशम उत्पादन		**320.00**	**202.57**	**522.57**	**223.00**	**207.76**	**430.76**	**223.46**	**207.76**	**431.22**	**184.12**	**210.80**	**394.92**
विद्युतकरघा उद्योग													
14. अन्य विद्युतकरधा योजनाएं	2851	13.06	2.64	15.70	18.00	2.94	20.94	18.00	2.94	20.94	11.39	2.94	14.33
15. मॉडल विद्युतकरण का विकास	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
16. स्वास्थ्य बीमा योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
17. आपदा राहत निधि योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
18. वर्करोड-सह-आवास	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
19. बेहतर स्व च्छता व्यवहार सफाई	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़-विद्युतकरघा उद्योग		**13.06**	**2.64**	**15.70**	**18.00**	**2.94**	**20.94**	**18.00**	**2.94**	**20.94**	**11.44**	**2.94**	**14.38**
अन्य													
20. मेगा क्लस्टर का विकास	2851	34.08	...	34.08	85.50	...	85.50	30.00	...	30.00	24.00	...	24.00
जोड़-ग्राम और लघु उद्योग		**975.64**	**411.60**	**1387.24**	**904.00**	**369.07**	**1273.07**	**1123.46**	**360.63**	**1484.09**	**3258.13**	**388.24**	**3646.37**
उपभोक्ता उद्योग													
21. उपकर संग्रहण के एवज में अदायगी													
21.01 जूट	2852	...	46.51	46.51	...	46.51	46.51	...	54.09	54.09	...	54.09	54.09
22. वस्त्र आयुक्त	2852	...	19.82	19.82	...	22.01	22.01	...	22.01	22.01	...	22.17	22.17
23. वस्त्र समिति को सहायता	2852	...	21.00	21.00	...	21.00	21.00	...	18.80	18.80	...	21.00	21.00
24. कपड़ा के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम													
24.01 राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान को अनुदान	2852	98.00	10.00	108.00	108.00	59.00	167.00	13.00	31.00	44.00	20.00	16.00	36.00
24.02 राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान (दिल्ली केंद्र) को अनुदान	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.03 फैशन और वस्त्र शिक्षा योजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
24.04	अनुसंधान एवं विकास	2852	8.90	...	8.90	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	7.00	...	7.00
24.05	कपड़ा श्रमिक पुनर्वास योजना	2852	...	12.28	12.28	...	15.00	15.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00
24.06	अध्ययनों के लिए अनुदान	3453	0.07	...	0.07	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.20	...	1.20
24.07	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	2852	2782.95	...	2782.95	2980.00	...	2980.00	3529.67	...	3529.67	2775.80	...	2775.80
24.08	कपास प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीकृत प्रायोजित स्कीम)	2852	63.85	...	63.85	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.09	मूल्य समर्थन के तहत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद	2852	...	1217.00	1217.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
24.10	ईएमडी / बीजी की जब्त राशि के एवज में एईपीसी को अनुदान	2852	...	0.53	0.53	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
24.11	समेकित कपड़ा पार्कों से संबंधित योजना	2852	158.78	...	158.78	297.00	...	297.00	115.00	...	115.00	113.00	...	113.00
24.12	एसवीपीआईटीएम द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली वस्त्र शिक्षा के उन्नयन के नोडल केंद्र की योजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.13	घरेलू बाजार विकास योजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.14	समग्र परिधान विकास योजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.15	समेकित प्रसंस्करण विकास योजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.16	विशिष्ट रेशे की विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.17	तकनीकी वस्त्र मदों के लिए एचएस कोड की पहचान	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.18	तकनीकी वस्त्रोद्योग के डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.19	तकनीकी वस्त्र हेतु मानक	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.20	निर्यात बाजार आसूचना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.21	पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो-टैक्स्टाइल्स के प्रयोग की योजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.22	पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रो- टैक्स्टाइल्स के संवर्धन की योजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.23	अनुसंधान एवं विकास के लिए उद्यमियों की सहायतार्थ चल निधियां स्थापित करना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.24	अस्पताल संबंधी संक्रामक रोगों पर आंकड़े सृजित करने का अध्ययन	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
24.25	अन्य	2852	110.22	12.46	122.68	157.00	5.55	162.55	77.84	4.00	81.84	102.71	5.65	108.36
	जोड़- कपड़ा के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम		*3222.77*	*1252.27*	*4475.04*	*3552.00*	*280.55*	*3832.55*	*3745.51*	*244.00*	*3989.51*	*3019.87*	*230.65*	*3250.52*
25.	जूट आयुक्त	2852	...	3.39	3.39	...	3.92	3.92	...	3.92	3.92	...	4.00	4.00

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
26. जूट विकास आदि के लिए अन्य कार्यक्रम													
26.01 जूट प्रौद्योगिकी मिशन	2852	42.79	...	42.79	44.00	...	44.00	44.00	...	44.00	22.00	...	22.00
26.02 बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को आर्थिक सहायता	2852	...	30.00	30.00	...	36.59	36.59	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00
26.03 अन्य	2852	...	4.10	4.10	...	2.51	2.51	...	4.05	4.05	...	4.05	4.05
जोड़- जूट विकास आदि के लिए अन्य कार्यक्रम		*42.79*	*34.10*	*76.89*	*44.00*	*39.10*	*83.10*	*44.00*	*59.05*	*103.05*	*22.00*	*59.05*	*81.05*
27. ऋण को बट्टे खाते में डालना													
27.01 राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड	2852	...	2704.63	2704.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27.02 घटाइए - निवल प्राप्तियां	0852	...	-2704.63	-2704.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28. ब्याज माफी													
28.01 राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड	2852	...	4093.04	4093.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28.02 घटाइए – निवल प्राप्तियां	0049	...	-4093.04	-4093.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-उपभोक्ता उद्योग		**3265.56**	**1377.09**	**4642.65**	**3596.00**	**413.09**	**4009.09**	**3789.51**	**401.87**	**4191.38**	**3041.87**	**390.96**	**3432.83**
नागरिक आपूर्ति													
29. सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण													
29.01 राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	6860	...	149.65	149.65	...	57.06	57.06	...	57.06	57.06	...	0.01	0.01
29.02 बर्ड जूट तथा निर्यात लि0	6860	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	4.58	4.58	...	0.50	0.50
29.03 ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लि0	6860	...	55.50	55.50	...	0.01	0.01	...	102.11	102.11	...	38.00	38.00
जोड़- सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण		...	*205.65*	*205.65*	...	*57.57*	*57.57*	...	*163.75*	*163.75*	...	*38.51*	*38.51*
30. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान													
30.01 हथकरघा	2552	...	...	...	80.00	...	80.00	120.00	...	120.00	355.00	...	355.00
30.02 हस्तशिल्प	2552	...	...	...	58.50	...	58.50	58.50	...	58.50	47.50	...	47.50
	4552	...	...	...	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	0.50	...	0.50
	जोड़	...	...	...	*60.00*	...	*60.00*	*60.00*	...	*60.00*	*48.00*	...	*48.00*
30.03 रेशम कीट पालन उद्योग	2552	...	...	...	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	73.89	...	73.89
30.04 जूट	2552	...	...	...	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00
30.05 कपड़ा	2552	...	...	...	140.00	...	140.00	140.00	...	140.00	76.91	...	76.91
30.06 प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	2552	...	...	...	120.00	...	120.00	170.33	...	170.33	138.20	...	138.20
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान		...	...	...	*500.00*	...	*500.00*	*590.33*	...	*590.33*	*700.00*	...	*700.00*
31. वास्तविक वसूलियां	2851	-8.88	-0.30	-9.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2852	-39.62	-0.01	-39.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	3601	-1.38	...	-1.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*-49.88*	*-0.31*	*-50.19*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
कुल जोड़		***4191.32***	***2007.71***	***6199.03***	***5000.00***	***855.75***	***5855.75***	***5503.30***	***942.27***	***6445.57***	***7000.00***	***836.41***	***7836.41***
	विकास शीर्ष	**बजट सहायता**	**आं. ब. बा. सं.**	**जोड़**	**बजट सहायता**	**आं. ब. बा. सं.**	**जोड़**	**बजट सहायता**	**आं. ब. बा. सं.**	**जोड़**	**बजट सहायता**	**आं. ब. बा. सं.**	**जोड़**
ग. योजना परिव्यय													
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	12851	925.76	...	925.76	904.00	...	904.00	1123.46	...	1123.46	3258.13	...	3258.13
2. उपभोक्ता उद्योग	12860	3265.56	...	3265.56	3596.00	...	3596.00	3789.51	...	3789.51	3041.87	...	3041.87
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	500.00	...	500.00	590.33	...	590.33	700.00	...	700.00
जोड़		**4191.32**	**...**	**4191.32**	**5000.00**	**...**	**5000.00**	**5503.30**	**...**	**5503.30**	**7000.00**	**...**	**7000.00**

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालयी व्यय के लिए व्यवस्था है।

2.01. **एकीकृत हथकरघा विकास योजना:** इस योजना का उद्देश्य, स्पष्ट अस्तित्व के रुप में बुनकर समूहों का गठन, आत्मनिर्भर बनने के लिए हथकरघा बुनकर समूह विकसित करने, सहकारी क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों से बुनकर शामिल करने के लिए साझी पहल, बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित गुणवत्ता के विविध उत्पादों का उत्पादन करने हेतु हथकरघा बुनकरों/कामगारों का कौशल उन्नयन करके बुनकरों को उपयुक्त कार्यस्थल उपलब्ध कराने, ताकि वे संशोधित उत्पादकता वाले गुणवता उत्पादों का उत्पादन कर सकें, पर ध्यान केंद्रित करना है।

2.03. **हथकरघे के लिए पुनरुद्धार सुधार कार्य और पुनर्संरचना पैकेज:** इस योजना मे बकाए ऋण का 100% मूलधन और 25% ब्याज जो की अब एन पी ए बन गया है और जो 31/03/2010 के स्थिति के अनुसार अतिदेय हैं। कार्यक्रम तथा संभावित रूप से कार्यक्षम प्राथमिक बुनकर सहकारी संस्थाओं और सर्वोच्च संस्थाओं के साथ-साथ व्यक्ति विशेष हथकरघा बुनकरों, मास्टर बुनकरों, स्व सहायता समूहों और संयुक्त दायित्व समूहों जिन्होंने हथकरघा के लिए इस प्रकार का ऋण लिया हैं, बशर्ते बैंक नए ऋण देने की गारंटी लेने के संबंध में। व्यष्टि हथकरघा बुनकरों के अतिदेय की माफी के संबंध में इस योजना के तहत जहां तक वित्त व्यवस्था का संबंध है, प्रति लाभार्थी 50,000 रुपये की समग्र उच्चतम सीमा होगी।

2.04. **विपणन और निर्यात संवर्धन कार्यक्रम:** विपणन संवर्धन कार्यक्रम हथकरघा एजेंसियों और बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराता है

3. **अन्य हथकरघा योजनाएं:** इसमें बुनकर सेवा केद्रों के व्यय से संबंधित स्थापना के लिए प्रावधान; विविधीकृत हथकरघा विकास योजना, हथकरघा बुनकर संगठनों को सभी प्रकार के यार्न उस कीमत पर, जिस पर ये मिल गेट पर उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध कराने के लिए मिल गेट मूल्य योजना, शामिल है। हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना के दो संघटक हैं (i) देश में हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और (ii) प्राकृतिक/दुर्घटनावश मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण पूर्ण/आंशिक अपंगता की स्थिति में हथकरघा बुनकरों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी बुनकर योजना। स्वास्थ्य बीमा कवर न केवल बुनकर के लिए है बल्कि उसकी पत्नी एवं दो बच्चों के लिए भी है।

4. **अन्य हस्तशिल्प योजनाएं::** इनमें डिजाइन और तकनीकी उन्नयन, बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, विपणन एवं सहायता सेवा, जम्मू और कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज, के लिए प्रावधान शामिल है। विपणन सहायता और सेवा योजना में निर्यात संवर्द्धन के लिए विपणन सहायता से संबंधित मध्यस्थता भी शामिल होगी। कल्याण योजना में कारीगरों के लिए बीमा योजना स्कीम और कारीगरों के स्वास्थ्य बीमा योजना और ऋण गारंटी योजना के लिए निधियां भी शामिल हैं। प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना को व्यापक बनाया गया है और इसमें विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना, गुरु शिष्य परम्परा इत्यादि जैसी समान योजनाओं के संघटकों को शामिल कर के मानव संसाधन विकास योजना को पुनर्गठित किया गया है। जम्मू व कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज में वचनबद्ध देयताओं को सुकर बनाने के लिए निधियां शामिल हैं। अनुसंधान एवं विकास योजना में कारीगरों की गणना भी शामिल होगी। इसमें अवसंरचना परियोजनाएं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं भी शामिल हैं। बजट में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए केद्रीय स्तर पर विकास योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए योजनागत और प्रशासनिक व्यय के लिए आयोजना-भिन्न प्रावधान शामिल हैं।

5. **ऊन विकास बोर्ड:** इस योजना के तहत देश में ऊन और ऊनी उत्पादों के समग्र विकास के लिए ऊन विकास बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों और परियाजनाओं के संचालन के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये योजनाएं हैं (i) एकीकृत ऊन उन्नयन एवं विकास कार्यक्रम (ii) ऊन तथा ऊनी उत्पादों का गुणवत्ता प्रसंस्करण (iii) भेड़ पालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। बोर्ड के प्रशासनिक व्यय को आयोजना-भिन्न के अधीन आबंटन में शामिल किया गया है।

6. **ऊन सुधार और विकास कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम में भेड़ की देशभाल और भेड़ पालन हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना शामिल है।

7. **पश्मिना और अंगोरा सहित कच्चे ऊन का विपणन:** इस योजना का बुनियादी उद्देश्य मार्केटिंग सहायता को मजबूत बनाना तथा अंगोरा और पश्मिना ऊन सहित कच्ची ऊन के विपणन में दलालों की उत्पीड़क भूमिका को कम करना हैं।

8. **मार्केटिंग और निर्यात संवर्धन योजना:** इस योजना के तहत देश में ऊनी उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन किया जाता है ताकि छोटे ऊनी श्रमिकों (बुनकार, कारीगर, छोटी संस्थाएं) को सभी ऊनी उत्पाद शामिल करते हुए विपणन का प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके।

9. **मानव संसाधन विकास:** यह प्रावधान ऊनी उद्योग की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए कुशल मानव संसाधनों के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जाने हेतु है।

10. **प्रसंस्करण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण:** यह योजना आधुनिक ऊन प्रसंस्करण मशीनरियों और गुणवत्ता प्राप्त उत्पादों के विनिर्माण में निवेश मुहैया कराएगी।

11. **केंद्रीय रेशम बोर्ड:** इस प्रावधान में केंद्रीय रेशम बोर्ड का प्रशासन शामिल है । बोर्ड को सौंपे गए कार्य व्यापक हैं और उनमें उद्योग के समस्त पहलू शामिल हैं ताकि उसके नियंत्रणाधीन रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग का समन्वित विकास सुनिश्चित हो सके और इसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान करने/सहायता देने और प्रोत्साहित करने, उच्चतर स्तरों पर विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और परीक्षण करने, ग्रेड निर्धारित करने, रेशम के उत्पादों का विपणन, सांख्यकीय आंकड़े एकत्रित करने, अपरिष्कृत रेशम की वस्तुओं आदि के आयात और निर्यात सहित रेशम उद्योग के विकास से संबंधित नीति विषयक सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का उत्तरदायित्व शामिल है । बजटीय प्रावधान में कृषि आधारित रेशम उत्पादन उद्योग का विकास करने के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित सहायता और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं शामिल हैं जिनका उद्देश्य द्विफसलीय रेशम उत्पादन और गैर-शहतूती रेशम का विस्तार करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है तथा उत्पादन, गुणवत्ता, उत्पादकता और कार्यचालन की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकियां लागू करके निर्यात आय बढ़ाना है।

12. **अन्य रेशम कीट पालन योजनाएं:** इस प्रावधान में रेशम और कृत्रिम रेशम मिल अनुसंधान संघ को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं ।

13. **आईएसइपीसी और एसएमओआय द्वारा निर्यात संवर्धन, ब्रांड संवर्धन और प्रौद्योगिकी उन्नयन:** ऊन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के नवाचार, मानकीकरण और प्रचार प्रसार हेतु एक 'डिजाइन बैंक' और ऊन और ऊनी उत्पादों संबंधी राष्ट्रीय बाजार सूचना सेवा (एनएमआईएसएस) स्थापित किया जाएगा।

14. **अन्य विद्युतकरघा योजनाएं:** यह प्रावधान समूह बीमा योजना के माध्यम से विद्युतकरघा कामगारों के कल्याण के लिए नए डिजायन प्राप्त करने के वास्ते विकेंद्रीकृत एवं लघु विद्युतकरघा एककों को सहायता देने के लिए कंप्यूटर सहायित डिजायन केंद्रों के वास्ते वस्त्र अनुसंधान संघों के लिए; समूह कार्यशाला योजना के तहत विद्युतकरघा बुनकरों को कार्य का बेहतर वातावरण प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं के निर्माण और विद्युतकरघा सेवा केंद्रों के प्रशासनिक खर्च के लिए अनुदान के वास्ते है ।

15. **आधुनिक बिजली करघा संकुल का विकास:** योजना बिजली करघा संकुल के अधिकतम विकास में प्रयत्न करती है

16. **स्वास्थ्य बीमा योजना:** स्वास्थ्य बीमा योजना, वित्तीय दृष्टि से बिजली करघा कर्मिकों/बुनकर को देश में सबसे अच्छा स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करता है

17. **विपत्ती राहत निधि योजना:** बिजली करघा बुनकर विपत्ती निधि योजना से आर्थिक संकटग्रस्त बिजली करघा बुनकर परिवार को राहत मिलने की संभावना है।

18. **वर्कशेड सह आवास:** इस योजना का लक्ष्य बिजली करघा बुनकरों की प्रतियोगिता क्षमता को विश्वव्यापी बाज़ार के लिए आधुनिक बुनने वाले यंत्र समूह के साथ बिजली करघा पार्कों की स्थापना करने का है।

19. **स्वस्थ्य व्यवहार और साफ़ सफ़ाई में सुधार:** यह योजना स्वास्थ्यवर्धक व्यवहार और बेहतर साफ़ सफ़ाई सुविधा प्रदान करने के लिए है। सड़क, जलनिकास सुविधा, विद्युतीकरण सुविधा, भूमिगत सेप्टिक टैंक सुविधा, टॉयलेट सुविधा, आम चिकित्सा सुविधा, साफ पेयजल आपूर्ति इत्यादि के निर्माण के लिए सहायता प्रदान किया जाएगा। और प्रारम्भ में क) बुरहानपुर, ख) नागपुर, ग) सोलापुर घ) माउ, ड) टंडा और च) गुवाहाटी समूह इस योजना के अधीन कार्यान्वित करना प्रस्तावित है।

20. **मेगा क्लस्टरों का विकास:** हथकरघा के लिए वाराणसी, शिवसागर, विरुधुनगर और मुर्शिदाबाद एवं विद्युतकरघा के लिए भिवंडी, भीलवाड़ा और इरोड और हस्तशिल्प के लिए नरसापुर, भदोही मिर्जापुर, श्रीनगर और मुरादाबाद में मेगा समूह के रूप में विकास के लिए 11 केंद्र शुरू करना ।

21. **पटसन पर उपकर संग्रहण में से भुगतान:** पटसन विनिर्माण विकास परिषद को विभिन्न निर्धारित कार्यों के लिए पटसन पर उपकर संग्रहण करने की व्यवस्था है।

22. **वस्त्र आयुक्त:** वस्त्र आयुक्त विनियामक आदेशों को क्रियान्वित करता है, विद्युतकरघा सेवा केद्रों का संचालन करता है,प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करता है, वस्त्रों के लिए डाटाबेस का रखरखाव करता है।

23. **वस्त्र समिति को सहायता:** वस्त्र समिति को निर्यात के लिए वस्त्र और वस्त्र मशीनरी का लदान पूर्व निरीक्षण करने के लिए भुगतान की व्यवस्था है ।

24.01. **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट):** इस योजना में केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रावधानों और सामान्य श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या बनाए रखने की तर्ज पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रों में

http://indiabudget.nic.in

अधिक छात्रों को प्रवेश देने हेतु अवसरचना विकास के लिए प्रावधान शामिल है । अन्य के अतिरिक्त इस खाते में हुआ व्यय मुख्यतया निर्माण और प्रशिक्षण सहायता के लिए होगा।

24.02. **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (दिल्ली सेंटर):** निफ़्ट ने 11वीं योजना अवधि के दौरान अपने परिसरों को 7 से बढ़ाकर 15 किया। 11वीं योजना के तेजी से विस्तार के चुनौती का सामना करने के लिए संकाय की अवसंरचना और अर्हताएं 12वाँ योजना के दौरान बल देते हैं। दिल्ली केन्द्र का विसंकुलन भी नियोजित है।

24.03. **फैशन और वस्त्र शिक्षा के लिए योजना:** यह योजना वर्तमान संस्थानों में शिक्षा सुपुर्दगी में सुधार करने का प्रयत्न करता है। यह योजना 25 से 35 संस्थानों तक फ़ोकस करते हुए, प्रत्येक राज्य में 1 संकेन्द्रित डिजाइन की गयी है। योजना के घटकों में प्रयोगशालाओं का उन्नयन, नये प्रौद्योगिकी की शुरुआत, अवसंरचना का विकास, प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम छात्रवृत्तियों का विकास, प्रयोगशाला का सुधार, शामिल हैं।

24.04. **अनुसंधान और विकास:** इसमें वस्त्र मंत्रालय में अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों/परियोजनाओं को शुरू करने की व्यवस्था शामिल है ।

24.05. **वस्त्र श्रमिक पुनर्वास योजना:** इस योजना में मिलों के बंद हो जाने के फलस्वरूप अपना रोजगार गंवाने वाले कामगारों के लिए परिवर्ती समायोजन के लिए अंतरिम राहत की व्यवस्था है ताकि वे अन्य रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें ।

24.07. **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस):** इस योजना में ऋणदाता एजेंसियों द्वारा वास्तविक रूप से प्रभारित ब्याज में से 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है ताकि वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए सुगमता से निवेश हो सके । यह योजना नोडल एजेंसियों (आईडीबीआई, सिडबी, आईएफसीआई और प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों) द्वारा चलाई जा रही है ।

24.08. **कपास प्रौद्योगिकी मिशन (केंद्र प्रायोजित योजना):** इस मिशन का कार्य कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना है जिसका उद्देश्य कपास अनुसंधान और किसानों को प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार करना, विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना और जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण करना है । इस मिशन में 4 लघु मिशन शामिल हैं । लघु मिशन I और II कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और लघु मिशन III और IV का कार्यान्वयन वस्त्र मंत्रालय कर रहा है ।

24.09. **भारतीय कपास निगम द्वारा समर्थन मूल्य के तहत कपास की खरीद:** भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य अभियान चलाने के लिए अधिस्थापित है । जब कभी कपास का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूता/नीचे चला जाता है तो भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य अभियान चलाता है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद करता है । समर्थन मूल्य अभियान से यदि कोई हानि होती है तो सरकार भारतीय कपास निगम को उसकी प्रतिपूर्ति करती है।

24.10. **एईपीसी को अनुदान:** यह प्रावधान परियोजनाओं के लिए अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) को भुगतान के लिए है ।

24.11. **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी):** एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, (एसआईटीपी) अपैरल वस्त्र पार्कों को मिलाकर और वस्त्र विकास केंद्रों की अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन कर शुरू की गई है । एसआईटीपी शुरू करने का एक प्रमुख उद्देश्य उद्योग को अपनी वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए विश्व स्तरीय अवसरंचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है । इस योजना से वस्त्र इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने में सहायता मिलेगी ।

24.12. **वस्त्र शिक्षा उन्नयन के लिए नोडल केंद्र (एनसीयूटीसी):** सरदार वल्लभ भाई पटेल वस्त्र प्रबंधन संस्थान, कोयम्बदूर वस्त्र संबंधी शिक्षा बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देगा ताकि उभरती प्रौद्योगिकी तथा निविष्टि की गुणवत्ता का सामना किया जा सके और वस्त्र संबंधी शिक्षा के सुधार हेतु गतिशील प्रणाली स्थापित की जा सके।

24.16. **विशेष रेशों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना:** भारतीय अथवा विदेशी कंपनियों को विशेष रेशों के लिए विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए समर्थ बनाने हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज की शुरूआत करके भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग हेतु कच्ची सामग्री का आधार मजबूत बनाना है।

24.17. **तकनीकी वस्त्र मद के लिए एच एस कोड का विनिर्धारण:** तकनीकी वस्त्र मद मे परंपरागत वस्त्र से संबंधित एचएसएन कोड 50 से 63 अध्यायों के लिए सीमाबद्ध नहीं है, किंतु एचएसएन कोड के अंतर्गत अध्याय 1 से 99 तक शामिल है। निर्यात और आयात पर डेटा को संकलित करने के लिए राजकोषीय सहायता भी दें। सभी तकनीकी वस्त्र मद का एचएसएन कोड चिह्नित् करना आवश्यक है।

24.18. **तकनीकी वस्त्र उद्योग के डेटाबेस को सुदृढ़ करना:** डेटा का अखंडता और यथार्थता नीति संरूपण एवं निर्णय लेने के लिए जरूरी हैं। नीति निर्णय के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि तकनीकी वस्त्र उद्योग के सभी पहलूओं पर संरक्षणात्मक सूचना बनाएं।

24.19. **तकनीकी वस्त्र के लिए मानक:** तकनीकी वस्त्र क्रियागत वस्त्र हैं इसलिए कड़े प्रदर्शन पैरामीटर उत्पादों द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित हैं। अधिकतम का तकनीकी वस्त्र उत्पादों को मानक उपलब्ध नहीं हैं। बीआईसी मानक के संरूपण तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा मानक कमिटी का गठन किया गया है। हालांकि बीआईएस के पास मानक निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ नहीं हैं। और उन्होंने प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति का सुझाव दिया है।

24.20. **निर्यात बाज़ार आसूचना:** तकनीकी वस्त्र उत्पादों के निर्यात के लिए असीम संभावना हैं। तकनीकी वस्त्र निर्माता को दुनिया भर के उत्पादों के निर्यात बाजार के बारे में सूचना नहीं हैं। इसलिए, निर्यात बाजार पर एक अध्ययन की जरूरत है। जो देशवार, उत्पादवार संभावना और ऐसे देशों की विशिष्टता तथा अन्य जरूरतों का ब्यौरा मुहैया कराएगा।

24.21. **योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूवसन का प्रयोग के लिए:** पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्रोद्योग के संवधर्न और अनुप्रयोग के लिए एक आयोजना स्कीम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधुनिक किफायती प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की प्रायोगिक परियोजनाओं के जरिए पूर्वोत्तर के विकास में भू-वस्त्रोद्योग का प्रयोग करने का लक्ष्य है। संभावित क्षेत्र जहां भू-वस्त्रोद्योग का प्रयोग किया जा सकता है, वे ये हैं-नई सड़कें, रिवर बैंक इरोजन कंट्रोल, पहाड़ों में स्लोप इरोजन कंट्रोल।

24.22. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रोटेक्सटाईल्स के संवर्धन की योजना:** पूर्वोत्तर क्षेत्र के बागवानी और पुष्पोत्पादन उपज में सुधार में एग्रोटेक्सटाईल्स का उपयोग करने का लक्ष्य है। एग्रोटेक्सटाईल्स की बढ़ती स्वीकार्यता के चलते देश में एग्रोटेक्सटाईल्स

उत्पादन के क्षेत्र में उद्यमशीलता को प्रेरणा मिलेगी। देश में एग्रोटेक्सटाईल्स उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि होने के चलते देश में किसानों के साथ-साथ वस्त्रोद्योग के उद्यमियों को लाभ मिलेगा।

24.23. **उद्यमकर्ताओं के शोध और विकास के लिए परिक्रमा निधि सहायता की स्थापना:** नए उत्पाद/प्रसंस्करण/अनुप्रयोग विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के विकास और वित्तपोषण के लिए सिडबी आदि जैसी वित्तीय एजेंसी के सहयोग से एक सहकारी कायर्क्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

24.24. **अस्पतालों संबन्धित संक्रमणों के आध्यान के लिए डेटाबेस:** अस्पतालों संबंधित संक्रमणों पर अध्ययन के लिए एक डेटा बनाना; ऐसे डाटा उन्नत देश मे उपलब्ध है जो की औषधीय वस्त्र में उपयोगी सूचना साबित होंगे।

24.25. **अन्य:** यह बजट प्रावधान मुख्यतः विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), बाजार विकास और उत्पाद विविधिकरण योजना, टैक्सटीपोलिस तकनीकी वस्त्रों फैशन हब, साझा अनुपालना कोड (सीसीसी), मानव संसाधन विकास, पटसन उद्योग सहित टैक्सटाइल इंजीनियरिंग आदि के लिए है।

25. **पटसन आयुक्त:** पटसन आयुक्त भारत में पटसन उद्योग के विकास की देखभाल करता है। वह पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश 1956 और पटसन (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1961 को भी संचालित करता है जिसे अब समामेलित कर दिया गया है और जो पटसन और पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 2000 के रूप में ज्ञात है।

26. **पटसन आदि के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम:** (i) राष्ट्रीय पटसन विविधीकृत केंद्र, पटसन सेवा केंद्र, कच्ची पटसन सामग्री बैंक, डिजाइन विकास, बाजार सहायता, पटसन उद्यमी सहायता और विविधीकृत पटसन क्षेत्र के विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में पटसन विविधीकरण क्रियाकलापों के लिए योजनाएं चलाता है। (ii) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विविधिकरण तथा बाजार विकास आधुनिकीकरण जमा मशीनरी के माध्यम से मूल्यवर्धन एवं बाजार पहुंच और कौशल उन्नयन अनुसंधान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्थापित करना, पटसन विनिर्माण विकास परिषद को अनुदान, बाजार अभियान के लिए भारतीय पटसन निगम को सब्सिडी, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ को अनुदान तथा अंतर्राष्ट्रीय पटसन अध्ययन समूह को अंशदान देना है।

29. **सार्वजनिक उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण:** यह प्रावधान मंत्रालय के तहत रूग्ण सार्वजनिक उद्यमों जैसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम, बर्ड जूट एवं निर्यात लि. और ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन को अपने कर्मचारियों को वेतन और पारिश्रमिक और राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम के कर्मचारियों के लिए वीआरएस और सांविधिक बकायों के भुगतान के लिए संसाधनों की कमी को पूरा करने हेतु बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

30. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान:** इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।

http://indiabudget.nic.in